



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18082026-275543
CG-DL-W-18082026-275543

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, अगस्त 2—अगस्त 8, 2026, शनिवार/ श्रावण 11—श्रावण 17, 1948
No. 27] NEW DELHI, AUGUST 2— AUGUST 8, 2026, SATURDAY/SHRAVAN 11— SHRAVAN 17, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय
(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 139.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सिस्टम एनालिस्ट (हार्डवेयर और नेटवर्किंग) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिस्टम एनालिस्ट (हार्डवेयर और नेटवर्किंग), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिस्टम एनालिस्ट (हार्डवेयर और नेटवर्किंग)।	1 (वर्ष 2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)।	चयन पद	लागू नहीं।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे हो या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति की दशा में दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा, जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना।	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का विभागीय प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर) जिसने वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (ग्रेड 47600-151100 रुपये) में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और जिसने सुसंगत क्षेत्र में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा संचालित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से अधिक या दो वर्ष, उनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अगली उच्चता श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के वे अधिकारी जिन्होंने; (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण किया हुआ है; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपये) में स्तर -9 या उसके समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा प्रदान की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपये) में स्तर -8 या उसके समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद चार वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और (ख) निम्नलिखित निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त किया हो: (i) कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी; अथवा (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं: — 1. संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या सदस्य-चेयरपर्सन; 2. अपर महानिदेशक या उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो-सदस्य; 3. संयुक्त सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय-सदस्य विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं: — 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो-समकक्ष चेयरपर्सन; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय-सदस्य; 3. उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो-सदस्य	पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी; तथा

(ग) भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों में जिसमें यूनिक्स या विंडोज, नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, नवीनतम रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पर्यावरण और विकास उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्य का दो वर्ष का अनुभव शामिल हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कांडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. I-12014/05/2024-एनसीबी-II]

वंदना चौधरी, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Narcotics Control Bureau)

New Delhi, the 28th July, 2026

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of System Analyst (Hardware and Networking) in the Narcotics Control Bureau, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, System Analyst (Hardware and Networking), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
System Analyst (Hardware and Networking).	1 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-10 in the pay- matrix (Rs. 56100-177500).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Promotion: The departmental Programmer (Information Technology Software) of Narcotics Control Bureau in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) with four years of regular service in the grade and who have successfully completed the training of two weeks in the relevant field conducted by Narcotics Control Bureau. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: — 1. Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairperson; 2. Additional Director General or Deputy Director General, Narcotics Control Bureau - Member; 3. Joint Secretary or Director, Ministry of	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

By Deputation (including short-term contract): - Officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institutions; (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed as under: (i) Master Degree in Computer Application or Computer Science; or (ii) Master of Technology in Computer Science or Computer Engineering or Computer Application from a recognised University or Institute; or (iii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Computer Application or Electronics or Communication from a recognised University or Institute; and (c) two years experience of electronic data processing work from Government of India or State Government or Union territory administrations or Recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations including experience of actual programming having worked in UNIX or WINDOWS, Networking, Network protocol, Network Management systems, latest Relational Data Base Management Systems, environment and development tools. Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly; the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be not exceeding three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of application.	Home Affairs - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: — 1. Director General or Additional Director General, Narcotics Control Bureau - Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs -Member; 3. Deputy Director General, Narcotics Control Bureau -Member.	
--	---	--

[F. No. I-12014/05/2024-NCB-II]

VANDANA CHAUDHARY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 140.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय, अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी अपनी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	03* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (₹35,400-1,12,400)	चयन पद।	आयु तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही

					होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री। (ख) वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और पदोन्नति से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण.- केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा की सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात् सुसंगत क्षेत्र में कम-से-कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश-स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।	(i) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा (ii) 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिन सविदा भी है) द्वारा। टिप्पण.- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में या उससे अधिक अवधि के लिए बहार रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों तथा स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ रखते हों, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे विभागीय पुस्तकालय लिपिक जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (₹19,900-63,200) में हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर अठारह वर्ष की सेवा की हो और केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हों तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नतिके लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2.— इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (₹19,900-63,200) में पुस्तकालय लिपिक का पद नियमित आधार पर धारण करने वाले विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पात्रता सेवा दस वर्ष बनी रहेगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या सांविधिक या स्वशासी संगठन के अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (₹ 29,200-92,300) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन प्रभाग), गृह मंत्रालय — अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (पुस्तकालय के प्रभारी), गृह मंत्रालय — सदस्य; तथा 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन प्रभाग), गृह मंत्रालय — अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (पुस्तकालय के प्रभारी), गृह मंत्रालय — सदस्य; तथा 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1.— पोषक श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि धारित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. ए-12018/02/2021-प्रशा.व]

विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 28th July, 2026

G.S.R. 140.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Library Information Assistant Recruitment (Amendments) Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Library and Information Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, Non Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Essential: Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute. (b) Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised University or institute. Note 1.— The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.— The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees. Note. — There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) 67 per cent. by direct recruitment; and (ii) 33 per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract). Note. — Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: The departmental Library Clerk in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eighteen years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training as prescribed by the Central Government. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note-2: The eligibility service shall continue to be ten years for departmental candidate holding the post of Library Clerk in level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix on regular basis on the date of notification of these rules. Deputation including short term contract: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or public sector undertaking or recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary (Administration Division) Ministry of Home Affairs (Chairman); 2. Director or Deputy Secretary (in charge of Library) Ministry of Home Affairs (member); and 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (member). Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary (Administration Division) Ministry of Home Affairs (Chairman); 2. Director or Deputy Secretary (in charge of Library) Ministry of Home Affairs (member); and 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (member).	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/02/2021-Ad.V]

VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 141.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या किए जाने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आर्थिक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पद के लिए भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, आर्थिक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (समूह ख) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(01)	(02)	(03)
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	02*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने के लिए आयु सीमा
(04)	(05)	(06)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक। टिप्पण -1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी

	सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण -2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन में दी गई तारीख होगी।
--	--

सीधी भर्ती किए जाने के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(07)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री। अनुभव: लागू नहीं। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए शिथिल की जा सकती है।

प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में सीधी भर्ती किए जाने के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी या नहीं?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति:
(08)	(09)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए गए अनुसार परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशकालिक प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण अथवा लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हों और स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष या उससे अधिक विहित अर्हताएं रखते हों।

पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती प्रक्रिया के दौरान संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की परिस्थितियाँ.
(12)	(13)
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष; (2) निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) — सदस्य; (3) अवर सचिव (स्थापना-IV) — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. क.12018/04/2025-अ.IV(अ.164185)]

अजीत कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, Assistant Library and Information Officer and Library and Information Assistant (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Library and Information Assistant** in the Economics, Statistics and Evaluation Division in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Economics, Statistics and Evaluation Division, Library and Information Assistant (Group B post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification.— No person, _____

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Library and Information Assistant.	02* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years. Note-1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note-2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	
(7)	
Essential: Bachelor degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute.	
Experience: NA	
Desirable: Diploma in computer application from a recognised University or institute.	
Note: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on a regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: (1) Joint Secretary (Administration) – Chairperson; (2) Director or Deputy Secretary (Personnel) – Member; (3) Under Secretary (Estt.-IV) – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/04/2025-E.IV(E.164185)]

AJIT KUMAR, Under Secy..

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 142.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय जल आयोग नक्शानवीस श्रेणी-I (अननुसचीवीय समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2001 और केंद्रीय जल आयोग अननुसचीवीय समूह 'ग' पद (इंजीनियरी सर्विसेस) भर्ती नियम, 2002 को, जहां तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-II और नक्शानवीस श्रेणी-III के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय

जल आयोग में ज्येष्ठ नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग, ज्येष्ठ नक्शानवीस भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता-वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों, पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ नक्शानवीस	63* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'।	लेवल-6 (35400- 112400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	आयु तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग

					द्वारा विज्ञापित तारीख होगी।
--	--	--	--	--	------------------------------

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठन या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरी के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय- ऑटो-कैड (कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन) से संबंधित सॉफ्टवेयर पर छह माह का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश-प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 के पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और (ख) जो स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

जनजातियों की दशा में, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- 1. निदेशक या सचिव, केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (स्थापना-I), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य; 3. अवर सचिव, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य; 4. तकनीकी निदेशालय का कोई उप निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 35/25/2009-अ-1]

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 23rd July, 2026

G.S.R. 142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Central Water Commission Draftsman Grade I (Non-Ministerial Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2001 and the Central Water Commission Non-Ministerial Group 'C' posts (Engineering Services) Recruitment Rules, 2002 in so far as it relates to the post of Draftsman Grade II and Draftsman Grade III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Draughtsman in Central Water Commission under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, namely :-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Senior Draughtsman, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. — The number of post, its

classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Draughtsman.	63* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'.	Level -6 (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for government servants upto five years in accordance with	Essential: Diploma in Civil or Mechanical Engineering from a recognised university or institution and having two years experience in the field of Civil or Mechanical Engineering from the Central Government or State Government or Union territory Administration or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation or universities or recognised research

instructions or orders issued by the Central Government).	institutes.
Note .- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Desirable: Six months experience on the software relating to Auto-CAD (Computer Aided Design). Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in level 5 in the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Department Confirmation Committee consisting of:- (1) Director or Secretary, Central Water Commission -Chairperson; (2) Under Secretary (Establishment-I), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	(3) Under Secretary, Central Water Commission	-Member;	
	(4) Deputy Director of any technical directorate, Central Water Commission	-Member.	

[F. No. 35/25/2009-E-I]

JITENDRA KUMAR, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 143.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली दुग्ध योजना, कनिष्ठ लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 1999 और दिल्ली दुग्ध योजना (लेखाकार एवं कैशियर समूह 'ग') भर्ती नियम, 1996 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध लेखाकार के पद से हैं अधिकांत करते हुए, उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या करने का लोप किया गया है, निरस्तीकरण से पहले किए गए थे या नहीं किए गए थे, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली दुग्ध योजना, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट होगा।

3. भर्ती विधि, आयु सीमा, अन्य योग्यताएँ, आदि— उक्त पद से संबंधित भर्ती विधि, आयु सीमा, योग्यताएँ और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता— कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह अनुबंध किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जो, जीवित पति या पत्नी की उपस्थिति में, किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका हो या विवाह अनुबंध कर चुका हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति— यदि केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ आदेश द्वारा, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

6. बचत— इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित करे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	22* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर-6 (35400-112400रु.).	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की छूट दी जा सकती है।) नोट: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक अर्हता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि। टिप्पण: उम्मीदवारों के अच्छा होने अर्हक होने की स्थिति में, लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करते हुए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार, योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष। नोट: केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।

भर्ती की पद्धति, चाहे वह भर्ती सीधी होगी, प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पदस्थितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समायोजन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समायोजन किया जाना है।
(10)	(11)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, (अ) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी के लिपिकों में से, जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या समकक्ष संस्थान द्वारा आयोजित रोकड़ एवं लेखा कार्य में प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: (क) (i) केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी के लिपिक, जिन्होंने इस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

	(ii) जिन्होंने सचिवालय रोकड़ प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या समकक्ष संस्थान में रोकड़ एवं लेखा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और रोकड़, लेखा एवं बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव रखते हों, अथवा; (ख) केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी; (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतनमान स्तर-5 (29200-92399 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में 06 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में 08 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या समकक्ष पाठ्यक्रम में रोकड़ एवं लेखा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और रोकड़, लेखा एवं बजट कार्य का दो वर्ष का अनुभव रखते हों। नोट 1.- पदोन्नति की सीधी पंक्ति में आने वाले विभाग के अधिकारी जो फीडर श्रेणी में आते हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नोट 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य गैर-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, छप्पन वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 3.- जहां अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों को भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हता या पात्रता सेवा की अवधि आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति, प्रोन्नति पर विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे: - महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना - अध्यक्ष; - उप महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली दुग्ध योजना - सदस्य; - वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना - सदस्य; - प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना - सदस्य विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना	- अध्यक्ष;	
2. उप महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली दुग्ध योजना	- सदस्य;	
3. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना	- सदस्य;	
4. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना	- सदस्य।	

[फा .सं.एम-03003/1/2020-प्रशासन-4 (ई16217)]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)**

New Delhi, the 27th July, 2026

G.S.R. 143.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Delhi Milk Scheme, Junior Accounts Officer Recruitment Rules, 1999 and the Delhi Milk Scheme (Accountant and Cashier Group 'C') Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the post of Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Accounts Officer in Delhi Milk Scheme under the Department of Animal Husbandry and Dairying in the Ministry of Fisheries, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Delhi Milk Scheme, Junior Accounts Officer, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of post, its classification and level in this pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Junior Accounts Officer.	22* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.

Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level-6 (35400-112400).	Selection.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issue by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or competent authority.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential : Bachelors' degree from a recognised university or institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
Fifty percent by promotion failing which deputation ; and Fifty percent by deputation/absorption failing which by direct recruitment.	Promotion : From amongst upper division clerk with eight years regular service in level-4 (Rs.25500-81100) of the pay matrix and have qualified the training in cash and accounts work conducted by Institute of Secretariat Training and Management or equivalent. Deputation/absorption: (A) (a) upper division clerks of Central Secretariat Clerical Service with eight years regular service in the grade; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possessing two years experience of cash, accounts and budget work, failing which ; (B) Officers under the Central Government; (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 (Rs.29200-92399) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; or (iii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent course and possessing two years experience of cash, accounts and

	budget work. Note 1.- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputaionists shall not be eligible for appointment on promotion. Note 2.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age- limit for deputation shall not be exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of application. Note 3.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	---

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. General Manager, Delhi Milk Scheme - Chairman ; 2. Deputy General Manager (Administration), Delhi Milk Scheme - Member ; 3. Financial Advisor and Chief Accounts Officer, Delhi Milk Scheme - Member ; 4. Administrative Officer, Delhi Milk Scheme - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. General Manager, Delhi Milk Scheme - Chairman ; 2. Deputy General Manager (Administration), Delhi Milk Scheme - Member ; 3. Financial Advisor and Chief Accounts Officer, Delhi Milk Scheme - Member ; 4. Administrative Officer, Delhi Milk Scheme - Member .	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. M-03003/1/2020-Admin-4 (E16217)]

SANJAY KUMAR, Under Secy.